न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) नागौर

बइजलास–रामजस विश्नोई (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद अधीन धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

बाबत् घोषणा खातेदारी, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

संख्या :– 57/2017

वादी	प्रतिवादीगण
नरपतराम पुत्र पन्नाराम जाति मेघवाल निवासी चिला फाटक के पास श्रीबालाजी तह0 व जिला नागौर	1. भगवानाराम पुत्र पन्नाराम 2. मोहनराम पुत्र पन्नाराम 3. रूकमा पत्नी स्व. भीकाराम 4. गोपालराम पुत्र भीकाराम 5. चौथाराम पुत्र भीकाराम 6. शेराराम पुत्र भीकाराम 7. धुड़ाराम पुत्र सुगनाराम 8. गेनाराम पुत्र पन्नाराम 9. खेताराम पुत्र पन्नाराम 10. सोनी पत्नी धर्माराम 11. कानाराम पुत्र धर्माराम 12. कैलाश पुत्र धर्माराम 13. प्रभूराम पुत्र धर्माराम उम्र 17 वर्ष (नाबालिग जरिये संरक्षक माता प्रतिवादी सं. 11 सोनी पत्नी धर्माराम) समस्त जाति मेघवाल निवासीगण चिला फाटक के पास श्रीबालाजी तह0 व जिला नागौर। 14. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, नागौर। 15. उप पंजीयक, नागौर।

वकील वादी
श्री रूघाराम जोगपाल,

वकील प्रतिवादीगण
1. श्री नरेन्द्र सारस्वत
2. श्री सतपाल सिंवर

निर्णय दिनांक :– **21.12.2020**

1– वादी द्वारा वाद प्रस्तुत किया कि :–

1. वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 13 एक ही संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य रहे हैं। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 13 स्व. पन्नाराम पुत्र किस्तुराराम मेघवाल निवासी श्रीबालाजी के उत्तराधिकारी हैं।
2. वादी की संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित पुश्तैनी खातेदारी की भूमियां ख.नं. 47 रकबा 37 बीघा, ख.नं. 49 रकबा 5–10 बीघा, ख.नं. 51 रकबा 2–08 बीघा,

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

ख.नं. 57 रकबा 0–04 बीघा ढाणी, ख.नं. 58 रकबा 0–06 बीघा कुण्ड, ख.नं. 59 रकबा 47–03 बीघा, ख.नं. 76 रकबा 0–06 बीघा, ख.नं. 79 रकबा 12–02 बीघा, ख.नं. 62 रकबा 10–16 बीघा, ख.नं. 75 रकबा 14–16 बीघा, ख.नं. 78 रकबा 75–06 बीघा दोनों खतौनियों की कुल भूमि 205–17 बीघा वाके सरहद मौजा बू कर्मसोता तहसील नागौर में स्थित चली आई हैं।

3. कि वंशावली के अनुसार स्व. पन्नाराम के वादी सहित कुल आठ पुत्र हुए जिससे सभी आठों पुत्रगण का उक्त आरांजी में 1/8–1/8 हक हिस्सा निहित करता था व हैं तथा वादी की माता यानी पन्नाराम की बैवा मिरगादेवी का देहांत दिनांक 31.05.2015 को हो चुका हैं, जिससे उसके स्थान पर उसके वारिशान काबिज हैं। इस प्रकार उक्त आराजी में 1/8 हिस्सा वादी का, 1/8–1/8 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1, 2, 9 व 10 का, 1/8 हिस्सा प्रतिवादी सं. 3 से 6 का, 1/8 हिस्सा प्रतिवादी सं. 7 का व 1/8 हिस्सा प्रतिवादी सं. 10 से 13 का निहित करता हैं तथा इसी अनुसार घोषणा खातेदारी व बंटवाड़ा करवाकर रेकर्ड दुरूस्त करवाना चाहते हैं।

4. वादी के पिता पन्नाराम ग्रामीण परिवेश के भोले भाले अनपढ व्यक्ति थे उसके बड़े तीनों पुत्रगण भगवानाराम, मोहनराम व स्व. श्री भीकाराम चतुर होशियार व कर्ताधरता होने व बाकी पुत्रगण छोटे होने का नाजायज फायदा उठाकर उन्होनं वादी के पिता स्व. पन्नाराम को नागौर लाकर दिनांक 05.06.1972 को ख.नं. 49, 51, 57, 58, 59, 76, 79 कुल रकबा 104–09 बीघा मौजा बू कर्मसोता का बेचाननामा निष्पादित करवाकर बाले बाले दिनांक 21.06.1972 को उपपंजीयक कार्यालय नागौर में अपने नाम पंजीकृत करवा लिया तथा वाकी खेताय 62, 75 व 78 में भी अपने पिता पन्नाराम के साथ साथ भगवानाराम मोहनराम अपनी सहखातेदारी दर्ज करवा ली। पन्नाराम के तीन बड़े पुत्र भगवानाराम, मोहनराम व स्व. भीकाराम परिवार के मुख्या व कर्ता धर्ता होने के कारण इन पर विश्वास किया जाता रहा एवं इनके कहने पर सारे कार्य किये जाते थे जिसका नाजायज फायदा उठाकर पुश्तैनी अविभाजित संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पति का कथित बैचाननाम पन्नाराम के अन्य वारिशान को जानकारी दिये बिना करवा लिया। उक्त तथाकित बैचान नामा के वक्त पन्नाराम के आठ पुत्र मौजूद थे। इस प्रकार उक्त अविभाजित पुश्तैनी सम्पति में पन्नाराम बैचानकर्ता का 1/9 हिस्सा ही निहित करता था वो भी विधिवत सक्षम न्यायालय से विभाजन करवाने के पश्चात् निर्धारित होना था, जिससे पन्नाराम उक्त खेताय में से 1/9 वां हिस्सा ही उस समय हस्तांरण कर सकते थे। इससे अधिक हिस्सा विधि अनुसार उनका बनता ही नहीं था। इस प्रकार अपने हिस्से से अधिक भूमि का बैचान करने का न तो स्व. पन्नाराम को बैचान करने का कानूनन अधिकार था तथा न ऐसा किया जा सकता था। ऐसे कागजी बैचान से खरीददार को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं तथा न ही अन्य वारिशान के हक अधिकार समाप्त हो सकते हैं, जिससे

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

कत्थित 104–19 बीघा का बैचान अवैध व शून्य हैं। तथाकत्थित बैचान के समय पक्षकारान का एक ही संयुक्त हिन्दु परिवार रहता चला आ रहा था। उक्त बैचान के समय पन्नाराम के सभी पुत्र एक ही परिवार में संयुक्त रूप से निंवास करते रहने से कब्जा सुपुर्द करने का प्रश्न ही नहीं था न कत्थित बैचान की गई भूमि का कब्जां सुपुर्द किया गया। इसलिए बिना कब्जा का किया गया बैचान अवैध व शून्य हैं ऐसा बैचान वादी के विधिक अधिकारों के विरूद्ध बेअसर था। ऐसे नूमाईशीबैचान की जानकारी होने पर वादी ने न्यायालय सिविल जज नागौर में वाद सं. 7/15 पेश कर रखा हैं, जो विचाराधीन हैं। चूंकि वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि हैं जिसके सम्बन्ध में घोषणा, विभाजन रेकर्ड दुरूस्ती आदि की डिक्री पारित करने का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय को होने से वादी का यह वाद वास्ते घोषधा खातेदारी, विभाजन, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश करना आवश्यक हुआ हैं।

5. कि पक्षकारान ने अपनी सुविधा अुनसार सहमति से उक्त सम्पूर्ण खेताय कुल 205–17 बीघा में से अपने हिस्सा अनुसार आज से लगभग 40 वर्ष पहले से अपने अपने रहवासी मकान बनाकर उन्ही खेतों में निवास कर रहे हैं व अलग–अलग कब्जा काश्त उपयोग रहता चला आया हैं व सभी की अलग–अलग पक्की रहवासी ढाणियां बनी हुई हैं। कथित बैचान किये गये भाग में वादी व प्रतिवादीगण के पक्के मकान 40 वर्षों से स्थित चले रहेत आये हैं। कागजी बैचान वादी के हितों के विरूद्ध निष्प्रभावी होने से वादी का 1/8 हिस्सा वादग्रस्त भूमि में हैं इसलिए वह 1/8 हिस्सा का खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हैं जिस हेतु वाद पेश हैं।
6. कि उक्त वादग्रस्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 89 के पास स्थित होने से ख.नं. 76 रकबा 0.06 बीघा, ख.नं. 660/49 रकबा 2–13 हैक्टेयर, ख.नं. 662/59 रकबा 4–01 बीघा व ख.नं. 668/75 रकबा 2.00 बीघा अवाप्त की जाकर गै0मु0 सड़क के रूप में दर्ज की जा चुकी हैं, उसका मुआवजा राशि प्राप्त करने का जो सूचना पत्र भूमि अवाप्ति अधिकारी (ए.डी.एम.) नागौर द्वारा दिनांक 23.03.2017 को जारी करने से भगवानाराम, मोहनराम, भीकाराम पिता पन्नाराम के नाम गलत जारी किया गया। मुआवजा राशि में वादी का हक हिस्सा निहित हैं लेकिन गलत बने रेकर्ड की आड़ में प्रतिवादीगण अकेले उक्त मुआवजा की एक बड़ी राशि प्राप्त करने पर आमदा हैं जबकि उनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं। यद्यपि भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष वादी अलग से आपत्ति पेश कर रहा हैं, लेकिन प्रतिवादीगण को वादी के हिस्से तक मुआवजा राशि प्राप्त न करने हेतु पाबंद करना आवश्यक होने से उक्त सूचना पत्र व राजस्व रेकर्ड की जानकारी होने से तुरन्त यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ हैं।
7. यह हैं कि प्रतिवादीगण वादी को खुली धमकिया दे रहे हैं कि उक्त भूमियां राजस्व रेकर्ड में हमारे नाम दर्ज है। तुम्हारा नाम नहीं हैं। हमने पूर्व में भूमि हमारे

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

नाम बैचान करवाकर हमारे नाम करवा रखी हैं, इसलिए हम अब हमारी मर्जी अनुसार उक्त भूमि को आगे विक्रय कर तुम्हे बेदखल करेंगें। अवाप्त सुदा भूमि की पूरा मुआवजा राशि प्रतिवादीगण द्वारा प्राप्त कर वादी को उसके विधिक हक से बेदखल करने पर आमदा हैं। ऐसी खुली धमकियां दी जा रही हैं जिससे वादी के विधिक अधिकारों पर खतरे के बादल मंडराने लग गये हैं, इसलिए प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर उक्त गैर कानूनी कृत्य किये जाने से रोका जाना आवश्यक व न्याय संगत हैं।

8. कि इस प्रकार वादी एक प्रतिवादीगण की रहवासीय ढाणी सम्पूर्ण खेताय में अलग अलग स्थानों पर बनी हुई हैं, लेकिन राजस्व रेकर्ड में खातेदारी इन्द्राज अस्तव्यस्त हो रखे हैं जिन खसरों में प्रतिवादीगण की कोई ढाणी नहीं हैं। वादी की ढाणी हैं उसमें प्रतिवादीगण का खातेदारी में नाम दर्ज हो रखा हैं। इसके अलावा कथित विक्रय में जिन खेताय को प्रतिवादी सं. 1 व 2 तथा 3 से 6 के पति व पिता को विक्रय करना बताया हैं, उन खसरा में प्रतिवादी सं. 7 घुड़ाराम की ढाणी व उसके बंट की जमीन है ओर लगातार 40 वर्षों से अधिक समय से उसके पिता व उसके बाद उसका कब्जा काश्त हैं, परिवार सहित निवास करता आ रहा हैं तो उक्त खसरा प्रतिवादी सं. 1 व 2 एवं स्व. भीकाराम को बैचान करने का प्रशन ही पैदा नहीं होता हैं। यदि ऐसा बैचान होता तो उक्त प्रतिवादीगण व स्व. भीकाराम के वारिसान इतने लम्बे समय तक चुप नहीं रहते व प्रतिवादी धूड़ाराम को हटाकर अपना कब्जा करते जबकि आज तक ऐसा नहीं किया गया है। इसलिए मौके स्थिति अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी कर रिपोर्ट लेकर अन्तिम डिक्री पारित की जाना व रेकर्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक व न्याय संगत हैं। प्रतिवादीगण कथित नूमाईशी बैचान के आधार पर बने राजस्व रेकर्ड की आड़ में उक्त भूमि को बैचान, गिरवी, हस्तांतरण, खुर्दबुर्द करने व अवाप्त सुदा भूमि का अकेले सम्पूर्ण मुआवजा राशि प्राप्त करने पर आमदा हैं व जबरन वादी को बेदखल करने का षड़यंत्र बना लिया हैं। अपने इन विधिविरूद्ध कृत्यों में पिछले कुछ दिनों में ज्यादा सक्रिय हैं। प्रतिवादीगण ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो पक्षकारान के मध्य टंटाफिसाद होकर बाद बाहुल्यता बढेगी। वादी के विधिक अधिकारों पर भारी कुठाराघात होगा व वादी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार के मुआवजे से करना संभव नहीं होगा। उपरोक्त तमाम तथ्यों, परिपरिस्थियों, मौके की स्थिति, विधिक प्रावधानों अनुसार प्रथम दृष्टतया वाद वादी के पक्ष में हैं तथा सुविधा का संतुलन भी प्रतिवादीगण को उक्त गैर कानूनी कृत्य करने व कराने से रोके जाने में ही हैं।

9. यह हैं कि बिनाय वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी पक्षकारान की संयुक्त हिन्दु परिवार की होने व सक्षम न्यायालय से विभाजन नहीं होने के बावजूद स्व. श्री पन्नाराम से उसके विधिक हक हिस्से से अधिक का बैचान प्रतिवादीगण सं. 1, 2 व 3 से 6 के पति व पिता भीकाराम द्वारा अपने पक्ष

सहायक कलेक्टर (प्र.)
नागौर

में दिनांक 21.07.1972 को बाले बाले निष्पादित करवा कर पंजीबद्ध करवा लेने व इसकी जानकारी हाल ही में प्रतिवादीगण द्वारा वादी का खेताय बैचान करने व राजस्व रेकर्ड में उनके नाम होने का कहने व भूमि आवाप्ति के नोटिस/सूचना पत्र की ज़ानकारी होने व प्रतिवादीगण अकेले वादी के बंट कब्जा काश्त पुश्तेनी खातेदारी की भूमि की सम्पूर्ण राशि प्राप्त करने पर आमदा होने व राजस्व रेकर्ड में अस्त व्यस्त रेकार्ड को दुरूस्त क़रवा कर घोषणा खातेदारी, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करना आवश्यक होने व प्रतिवादीगण को उक्त मुआवजा राशि अकेले प्राप्त करने से रूकवाया जाना आवश्यक होने से सरहद मौजा बू कर्मसोता तहसील नागौर पैदा हुआ जिससे अन्दर म्याद पेश हैं।

वादी द्वारा इस्तदुआ की गई कि ग्राम बू कर्मसोता के ख.नं. 47 रकबा 32–00 बीघा, 49 रकबा 5–10 बीघा, 51 रकबा 2–08 बीघा, 57 रकबा 0–04 बीघा, 58 रकबा 0–06 बीघा, 59 रकबा 47–03 बीघा, 76 रकबा 0–06 बीघा, 79 रकबा 12–02 बीघा, 62 रकबा 10–16 बीघा, 75 रकबा 14–16 बीघा व ख.नं. 78 रकबा 75–06 बीघा कुल रकबा 205–17 बीघा में से वादी का 1/8 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाकर वाद के पैरा सं. 8 में बताये गये हिस्से संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार अलग–अलग बंट व खातेदारी की घोषणा की जावे।

2– वाद दिनांक 01.09.2017 को दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। दिनांक 16.11.2017 को प्रतिवादी सं. 1 से 6 की ओर से वकील श्री नरेन्द्र सारस्वत व दिनांक 27.12.2017 को प्रतिवादी संख्या 8 से 13 की ओर से वकील श्री सतपाल सिंवर ने वकालातनामे पेश किये गये। प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से श्री सतपाल सिंवर ने दिनांक 09.01.2020 को वकालातनामा राजीनामा के साथ पेश किया। प्रतिवादी संख्या 14 (तहसीलदार नागौर) व प्रतिवादी संख्या 15 (उप पंजीयक नागौर) के सम्मन तामिल सुदा शामिल पत्रावली में हैं।

3– इस दावे में किसी प्रतिवादी का जवाब प्राप्त नहीं होकर दिनांक 09.01.2020 को फाइल पेशी पर ली जाकर वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 13 ने राजीनामा पेश किया, जो उसी दिन तस्दीक किया गया। राजीनामें में वादग्रस्त भूमि रकबा 205–17 बीघा को वादी, प्रतिवादी सं. 1, 2, 7, 8 व 9 का प्रत्येक का 1/8 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 से 6 का 1/8 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 10 से 13 का 1/8 हिस्सा मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार खातेदारी घोषणा व बंटवाड़ा करवाना तय हुआ। प्रतिवादी संख्या 7 के पक्ष में विक्रय पत्र अपने हिस्से का प्रतिवादी सं. 1 से 6 द्वारा करवाना तय किया गया।

4– वादी नरपतराम के बयान A.W.1 दिनांक 19.02.20 को उनके द्वारा पूर्व में प्रस्तुत शपथ–पत्र दिनांक 05.02.20 के क्रम में करवाये गये। साथ ही इनके द्वारा

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

प्रदर्श–1 से 10 तक दस्तावेज प्रदर्शित कराये गये। इसी प्रकार भगवानराम पुत्र पन्नाराम (NAW-1) मोहनराम पुत्र पन्नाराम (NAW-2) के शपथ–पत्र दिनांक 05.02.20 को पेश होकर उसी दिन बयान कलम बद्ध किये गये। चौथाराम पुत्र भीकाराम (NAW-3) गोपालराम पुत्र भीखाराम (NAW-4) रूकमा पत्नी भीकाराम (NAW-5) व शेराराम पुत्री भीकाराम (NAW-6) दिनांक 27.02.20 को शपथ पत्र पेश किये तथा इनके बयान दिनांक 19.03.20 को कलम बद्ध किये गये। दिनांक 19.02.2020 को वकील वादी ने चालू जमाबंदी की नकले व बैचान दस्तावेज व राजीनामा बंटवाय खेताय लिखापढी फार्म सं. 3 के साथ पेश किये गये।

हमने पत्रावली का गहन अध्ययन किया तथा मनन किया। दावे के साथ पेश जमाबंदी ग्राम बूकर्मसोता सम्वत 2071 से 2074 (प्रदर्श–1) में ख.नं. 62 रकबा 10–16 बीघा ख.नं. 78 रकबा 75–06 बीघा व ख.नं. 669/755 रकबा 12–16 बीघा कुल खसरा 3 रकबा 98–18 बीघा पन्नाराम पुत्र किस्तूरराम, भगवानाराम, मोहनराम पिता पन्नाराम कौम भांभी सा. श्रीबालाजी खातेदार दर्ज हैं। प्रदर्श–2 जमाबंदी नकल ग्राम बू कर्मसोता सम्वत 2071–74 के अनुसार ख.नं. 47 रकबा 37–00 बीघा, ख.नं. 51 रकबा 2–08 बीघा, ख.नं. 57 रकबा 0–04 बीघा, ख.नं. 58 रकबा 0.06 बीघा, ख.नं 79 रकबा 12–02 बीघा, ख.नं. 661/49 रकबा 2–17 बीघा व ख.नं. 663/59 रकबा 43–02 बीघा कुल खसरे 7 रकबा 97–19 बीघा भूमि भगवानाराम, मोहनराम पिता पन्नाराम, रूकमा देवी पत्नी भीकाराम, गोपालराम, चौथाराम, शेराराम पिता भीखाराम कौम भांभी सा0 श्रीबालाजी खातेदार दर्ज हैं। वादी की इस्तदुआ उक्त दस खसरों की रकबा 205–17 बीघा में से 1/8 हिस्सा वादी की खातेदारी घोषित करते हुए सलंग्न नक्शे अनुसार अलग दर्ज करने की है। जो रकबा कम हुआ है वह सड़क में आवाप्त होने से हुआ हैं। ऐसा वाद के पैरा सं. 6 में दर्ज हैं।

वकील वादी ने पन्नाराम पुत्र किस्तुराराम द्वारा निष्पादित बैचान दस्तावेज जो कि भगवानाराम, मोहनराम व भीखाकाराम के हक में दिनांक 05.06.1972 तथा दिनांक 13.01.2020 को भगवानाराम, मोहनराम पिता पन्नाराम, रूकमादेवी पत्नी भीकाराम, गोपालराम, चौथाराम, शेराराम पिता भीकाराम द्वारा शोभादेवी पत्नी धूड़ाराम के हक में निष्पादित बैचान दस्तावेजात की नकलें पेश की। इस बैचान दस्तावेज से ख.नं. 663/59 रकबा 43–02 बीघा में से 22–10 बीघा (दक्षिणीभाग) व ख.नं. 57 रकबा 0.04 बीघा पूरा बैचा गया हैं।

दिनांक 14.12.2020 को वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने पेश किये गये राजीनामें अनुसार बैचान दस्तावेज दिनांक 05.06.1972 को निष्प्रभावी करते हुए दिनांक 13.01.2020 को बेची गई भूमि कम करते हुए शेष भूमि का 1/7 हिस्सा वादी–प्रतिवादी सं. 1, 2, 3 से 6, 8, 9 व 10 से 13 का प्रत्येक का 1/7 हिस्से का सहखातेदार घोषित करके मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार बंटवाड़ा बाई मीट्स व

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

बाउण्ड्स करने का निवेदन किया। साथ ही यह भी कहा कि भूमि पैतृक हैं तथा राजीनामें अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकरन किया तथा गहन मनन किया। राजीनामा अनुसार बैचान दिनांक 05.06.1972 को निष्प्रभावी घोषित करते हुए ग्राम बू कर्मसोता के ख.नं. 47 रकबा 37–00 बीघा, ख.नं. 661/49 रकबा 2–17 बीघा, ख.नं. 51 रकबा 2–08 बीघा, ख.नं. 58 रकबा 0.06 बीघा, 663/59 में से रकबा 20–12 बीघा, ख.नं. 79 रकबा 12–02 बीघा, ख.नं. 62 रकबा 10–16 बीघा, ख.नं. 669/75 रकबा 12–16 बीघा व ख.नं. 78 रकबा 75–06 बीघा के वादी, प्रतिवादी सं. 1, 2, 3 से 6, 8, 9 व 10 से 13 प्रत्येक को 1/7 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाकर मौके पर भूमि का बाई मीट्स व बाउण्ड्स बंटवाड़ा करने हेतु तहसीलदार नागौर को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।

उपर्युक्तानुसार प्राथमिक डिक्री जारी की जावे तथा तहसीलदार नागौर से प्राथमिक डिक्री की पालना मंगवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

(सरोजस विश्नोई)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (मु.) नागौर